इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 15, शक 1941

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्र. 867-जिशविअ-2019.—नगर परिषद् सैलाना, जिला रतलाम के उपाध्यक्ष श्री अनुकूल सोनी द्वारा आज दिनांक 22 नवम्बर 2019 को पूर्वान्ह11.40 बजे मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की उपधारा (1) के तहत परिषद के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया होने के फलस्वरूप उपधारा (2) की कण्डिका (एक) अन्तर्गत प्राप्त त्यागपत्र का समाधान होने पर धारा 40(2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, श्री अनुकूल सोनी, उपाध्यक्ष, नगर परिषद सैलाना का, उपाध्यक्ष पद से प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 22 नवम्बर 2019 को तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है.

2. श्री सोनी के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने तथा उसे धारा 40 की उपधारा (2) की कण्डिका (एक) अन्तर्गत स्वीकार कर लिये जाने के कारण नगर परिषद सैलाना का उपाध्यक्ष पद आज दिनांक 22 नवम्बर 2019 से रिक्त हो गया है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान, कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.